राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2004 / 2023

दानवीर शर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेबीपी20030700028)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.08.2023

आदेश की दिनांक : 08.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

3. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 03.08.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया था, उसे समाप्त कर अपीलार्थी को मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य द्वारा कार्यमुक्त किया गया है, जो सक्षम अधिकारी नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था। जिस कारण से अपीलार्थी को वर्तमान पद से हटाया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क रहा है कि वर्तमान में स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तथा अपीलार्थी को प्रतिबंध की अवधि के दौरान मूल पदस्थापन स्थान पर भेजा गया है, जो उचित नहीं है।
4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
5. अपीलार्थी का मूल पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खटोटी, नदबई, भरतपुर है। अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत की जांच विचाराधीन रखते हुए अपीलार्थी को प्रशासनिक कारणों से कार्यव्यवस्थार्थ

रा.उ.मा.वि. गंगरोली, नदबई में रिक्त पद पर लगाया था। कुछ समय के लिए कार्यव्यवस्थार्थ प्रशासनिक दृष्टि से उनके मूल पदस्थापन स्थान से हटाकर गंगरोली, नदबई कार्य करने के लिए भेजा गया था। वर्तमान आक्षेपित आदेश से अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ में लगाये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर अपीलार्थी को पुनः अपने मूल पदस्थापन स्थान के लिए भेजा गया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहां तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध का प्रश्न है, उक्त प्रतिबंध अपीलार्थी के संबंध में लागू नहीं होता है, क्योंकि अपीलार्थी को वर्तमान आलौच्य आदेश से स्थानांतरित नहीं किया गया है। केवलमात्र उन्हें मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य करने के लिए कार्यमुक्त किया गय है। आलौच्य आदेश में यह भी अंकित है कि अपीलार्थी को जिस स्थान पर कार्यव्यवस्था के लिए लगाया गया था, उस स्थान पर अन्य व्यक्ति संजय कुमार ने कार्यग्रहण कर लिया है। ऐसे मे रा.उ.मा.वि. गंगरोली, नदबई में, जहां पर अपीलार्थी कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया था, उस स्थान पर अन्य व्यक्ति ने कार्यग्रहण कर लिया है। अतः एक पद पर 2 व्यक्ति कार्यरत होने के कारण उन्हें अपने मूल पदस्थापन स्थान पर भेजे जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)